संख्या- 16/ 2124/12-2-2014-बजट 8/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2014**

विषय: मृदा में सल्फर तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने की योजना (मृदा सुधार योजना) में वित्तीय वर्ष 2014-15 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: चावल-224/लेखा-1/वि0स्वी0 दिनांक 15 जुलाई, 2014 तथा शासन के पत्र संख्या- 2056/12-2-2014-बजट.8/2010 दिनांक 11 जुलाई, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरंक्षण-102-मृदा संरक्षण-12-मृदा सुधार योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 100000 हजार के सापेक्ष धनराशि रू0 16700 हजार (रूपये एक करोड सरसठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न विवरणानुसार आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण फेजिंग करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा शासनादेश संख्या 2066/12-2-2012-बजट;8/2010 दिनांक 17 जुलाई, 2012 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों अधिकारियों की मांग के अनुसार अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट

http://shasanadesh.up.nic.in

मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरंक्षण-102-मृदा संरक्षण-12-मृदा सुधार योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8; यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457-दस/2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

संख्या: 16/2124 (1)/12-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वे0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 16/2124 /12-2-2014-बजट.8/2010 दिनांक 31 जुलाई, 2014 का संलग्नक

क्र0सं0	विषय	विवरण
1	योजना का नाम	मृदा सुधार योजना
2	वित्त पोषण	उत्तर प्रदेश
3	योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो का विवरण संक्षेप में	
4	नियोजन विभाग/व्यय वित्त समिति/ भारत सरकार/आर0के0 वी0 वाई में एस0एल0एस0सी0/मा0 मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित कार्य योजना, परियोजना अवधि, लागत तथा बैठक एवं पत्र जिसके द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।	शासन के पत्र संख्या- 2066/12-2-2012-बजट.8/ 2010 दिनांक 17 जुलाई, 2012 द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) की अवधि के लिए मृदा में सल्फर तथा सूक्ष्म तत्वों की कमी दूर करने के लिए कृषकों को सल्फर एवं माइक्रोन्यूटियन्ट वितरण पर अनुदान देने की योजना स्वीकृत की गयी है।
5	परिव्यय	100000 हजार
6	केन्द्र पोषित योजना की स्थिति में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष हेतु पुर्नवैद्य/ अवमुक्त केन्द्रांश भारत सरकार के पत्र की प्रति सहित	शून्य
7	केन्द्रांश के सापेक्ष जारी की जा सकने योग्य धनराशि	शून्य
8	योजना हेतु वित्तीय वर्ष में उपलब्ध बजट प्राविधान	100000 हजार
9	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृतियॉ तथा व्यय की धनराशि	रू0 33300 हजार
10	चालू योजना की स्थिति में गत वर्ष जारी धनराशि तथा व्यय का विवरण	जारी धनराशि- 100000 हजार व्यय की गयी धनराशि-59356 हजार
11	प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति का मदवार विवरण	अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण-102-मृदा संरक्षण-12-मृदा सुधार योजना
	27- सब्सिडी	16700 हजार
	योग	**16700 हजार**

(एक करोड सरसठ लाख मात्र)

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in